न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 73/2018 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. नरेश सिंह पुत्र स्व0 श्री जनकसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बलवन्डका तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट

बनाम

1. किशनसिंह पुत्र स्व0 श्री छोटूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बलवन्डका तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... असल रेस्पो0

2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... तर0 रेस्पो0

उपस्थित :–
1.श्री रामवीरसिंह नरूका, अभिभाषक अपीलांट
2.श्री बाबूसिंह राघव, अभिभाषक असल रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–15.01.2019

यह अपील विद्धान उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़ के निर्णय दिनांक 11.06.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/प्रार्थी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी हाल ख0 नं0 66 रकबा 0.01, 67 रकबा 0.27, 68 रकबा 0.26 ऐयर कुल किता 3 रकबा 0.54 है0 जिसके साबिक ख0 नं0 55 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम बलवन्डका तहसील रामगढ़ में स्थित है का 1/2 भाग आराजी विवादित है । विवादित आराजी का वादी के पिता छोटूसिंह पुत्र छीतरसिंह काबिज खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज रहकर कार्य काश्त करते चले आ रहे हैं एवं उन्हीं की सहमति से उनके जीवनकाल से बदस्तूर वादी विवादित आराजी पर काबिज रहकर बतौर खातेदार काश्तकार कार्य काश्त करता चला आ रहा है । वादी के पिता छोटूसिह की मृत्यु होने पर

उनका विरासत इन्तकाल सं0 50 दि0 17.06.1973 मृतक छोटूसिंह के जायज व कानूनी वारिस वादी के हक में सही प्रकार तस्दीक हुआ है । मुताबिक इन्तकाल विरासत कायम जमाबन्दी में वादी का नाम सही इन्द्राजात हो गये होगें यह सोचकर वादी को पूर्व में कभी राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी आदि की आवश्यकता नहीं हुई । असल प्रतिवादी जनकसिंह के पिता किशोरीसिंह जो कि बलदेवसिंह का पुत्र है, बेहद चालाक व लालची प्रवृति का व्यक्ति रहा है व राजस्व विभाग सैटलमेन्ट विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों से सांठगांठ रखता था तथा वादी के पिता छोटूसिंह सीधे साधे इन्सान रहे हैं । इसल प्रतिवादी के पिता किशोरसिंह द्धारा वादी के भोलेपन का लाभ उठाकर मृतक छोटूसिंह का विरासत इन्तकाल जैसे ही वादी के नाम तस्दीक हुआ इसके बाद कायमशुदा जमाबन्दी सम्वत् 2027–30 में राजस्व विभाग/सैटलमेन्ट विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों से मिलकर खुद को मृतक छोटूसिंह का वारिस बताते हुए बाले–बाले वादी किशनसिंह के नाम के स्थान पर स्वयं का नाम किशोरसिंह पुत्र छोटूसिह दर्ज करा लिया । सैटलमेन्ट/राजस्व विभाग ने पूर्व राजस्व रेकार्ड/विरासत इन्तकाल की भी अनदेखी करके गलत इन्द्राज किया है जो इन्द्राज खिलाफ कानून, मौका, कब्जा विधि विरूद्ध हैं जो वादी के हकूकों के मुकाबले बातिल व बेअसर व शून्य प्रभावी हैं । इसलिए प्रतिवादीगण को ताफैसला वाद पाबन्द करने का निवेदन किया । विद्धान तहत न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के विद्धान अभिभाषक को सुनकर कैम्प कोर्ट में वादी का प्रार्थना पत्र दि0 11.06.2018 को स्वीकार कर लिया जिस निर्णय दिनांक 11.06.2018 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि दि0 11.06.2018 के आदेश के खिलाफ अपील पेश की है । दावे में इकतरफा कार्यवाही तहत न्यायालय ने की है । मृतक दि0 4.9.2016 को फौत हो गया । मृतक के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद कन्फर्म किया है । हाल जमाबन्दी में अपीलांट का नाम तथा कब्जा है । तहत न्यायालय द्धारा कैम्प कोर्ट में अपीलांट तथा उसके वकील की गैर मौजूदगी में निर्णय पारित किया है तथा तहत न्यायालय ने ना तो कैम्प कोर्ट में उपस्थित होने बाबत कोई नोटिस पेश किया और ना ही अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का कोई युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया । मृतक के वारिसान को रेकार्ड पर नहीं लिया गया तथा मृतक के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा गलत कन्फर्म की है । अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु अपीलांट के पक्ष में साबित थे किन्तु तहत न्यायालय ने विधि विरूद्ध गलत तरीके पर अस्थाई निषेघाज्ञा को कन्फर्म किया है । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

जवाब बहस में अभिभाषक असल रेस्पो0 का कहना है कि तहत न्यायालय में असल रेस्पे0 का दावा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट का था । विवादित आराजी के 1/2 भाग के छोटूसिंह खातेदार काश्तकार थे । सम्वत् 2027 में छोटूसिंह की मृत्यु के बाद किशनसिंह के नाम विरासत दर्ज हो गयी तथा सम्वत् 2027 की जमाबन्दी में किशनसिंह के स्थान पर किशोरसिंह दर्ज कर दिया । किशोरसिंह नरेशसिंह के दादा हैं । सम्वत् 2037 में किशनसिंह

की मृत्यु के बाद जनकसिंह के नाम जमीन दर्ज हो गयी । जनकसिंह जानबूझकर तहत न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ । तहत न्यायालय ने रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है कि विवादित आराजी का बेचान नहीं करें । दि0 10.03.2017 को एकपक्षीय कार्यवाही हो गयी । वर्तमान अपील से अधिकार निर्धारित नहीं हो रहे हैं, यह तो दावे में तय होगा । दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई जवाब नहीं आया । अपीलांट विवादित आराजी को बेचान करना चाहते हैं । अतः रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें । यदि वादी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र कन्फर्म नहीं होता तो प्रतिवादी नरेश आराजी का बेचान कर देते । रेकार्ड असल रेस्पो0 के पक्ष में है । कब्जे का कोई बिन्दु नहीं है । किशोरसिंह के स्थान पर किशनसिंह आना चाहिए । तहत न्यायालय ने रेकार्ड अनुसार उचित निर्णय पारित किया है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । तहत न्यायालय के आदेश दि0 11.06.2018 का अवलोकन किया ।

अपीलांट का बहस का कानूनी बिन्दु यह है कि तहत अदालत ने प्रतिवादी के फौत होने के बाद भी उनके वारिसान को रेकार्ड पर नहीं लिया और न ही प्रतिवादी के वारिसान अपीलांट को सुनवाई का ही मौका दिया । मृतक व्यक्ति के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश मूल वाद तक गलत कन्फर्म किया है । यह भी तर्क रहा है कि कैम्प कोर्ट में अपीलांट को बिना सुने तथा बिना नोटिस दिये यह आदेश पारित कर दिया । यह भी तर्क है कि तहत अदालत ने कोई स्पीकिंग आदेश पारित नहीं किया है । अतः ऐसा आदेश विधि के प्रावधान तथा आर.टी.एक्ट की धारा 212 के प्रावधानों के विरूद्ध है । तहत अदालत का आदेश निरस्त करने और अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की ।

रेस्पो0/वादी का तर्क है कि विवादित आराजी छोटूसिंह की खातेदारी में थी तथा उनकी मृत्यु के बाद विरासतन किशनसिंह के नाम नामान्तकरण दर्ज हो गया परन्तु जमाबन्दी में किशनसिंह की जगह किशोरसिंह दर्ज कर दिया । यह राजस्व कर्मचारियों की गलती है जिसे दुरूस्त कराने हेतु दावा पेश किया है जो तहत अदालत में विचाराधीन है । प्रतिवादी/अपीलांट विवादित आराजी को गलत इन्द्राजों की आड़ में बेचान करना चाहते हैं जबकि मौके पर वादी का कब्जा है । अतः जारीशुदा अस्थाई स्थगन आदेश सही है । अपील खारिज करने की इस्तदुआ की ।

हमने उक्त विवेचन पर गौर किया । कानूनन मृतक के विरूद्ध किसी प्रकार के आदेश पारित नहीं किये जा सकते हैं । अतः किशोरसिंह व जनकसिंह के फौत होने पर सी. पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार वारिसान को रेकार्ड पर लिया जाकर गुणावगुण पर उभयपक्षों को सुनकर निर्णय पारित किया जाना चाहिए । साथ ही तहत अदालत ने कोई स्पीकिंग आदेश पारित नहीं किया है जो काबिल खारिजी के है । अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है । चूंकि वादी का वाद इन्द्राज दुरूस्ती व घोषणा का है । ऐसी स्थिति में तहत अदालत में पत्रावली निश्चित तिथि को पेश होने तक राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत आदेश दिया जाना उचित है ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़ के निर्णय दि0 11.06.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे

प्रतिवादी (मृतक) के वरिसान को रेकार्ड पर लेकर उभयपक्षों को पुनः सुनकर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें । उभयपक्ष तहत न्यायालय में दि0 14.02.2019 को उपस्थित होवे । दि0 14.02.2019 तक राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें । उभयपक्षों की उपस्थिति दिनांक 14.02.2019 के बाद राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति का आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय की प्रति सहित मूल पत्रावली तहत न्यायालय को शीघ्र प्रेषित की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/1/19

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर